

उत्तर प्रदेश आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय

सैफई, इटावा-206130

Uttar Pradesh University of Medical Sciences

Saifai, Etawah (U.P.) - 206130

सं०. 249 / उ०प्र०आ०वि०वि० / आवास(77) / 2024-25

दिनांक: 17 अक्टूबर, 2024

कार्यालय आदेश

तत्काल प्रभाव से निम्नलिखित तालिका में अंकित अधिकारी/कर्मचारी को उनके नाम के सम्मुख उल्लिखित आवास आवंटित/आवास परिवर्तित किये जाने के निर्देश दिये जाते हैं :-

Sl. No.	Name	Post	Present House No. / Vacant	New Allotment	Employee ID/ Biometric ID
1.	Dr. Nirmal Kumar	CMO (NFSG)	New Campus Type IV Multi Story, E-602	Type -IV Accn No-206, Block B, Old Campus	950102
2.	Dr. A.N.Gayasuddin Haider	Assistant Professor Physiology	Type -IV, Accn No-303, Block D, New Campus	Type -IV, Accn No-102, Block C, New Campus	950034
3.	Dr. Sarvesh Kumar Gupta	Assistant Professor, Peadia Surgery	Type -IV, Accn No-303, Block C, New Campus	Type -IV Accn No-103, Block C, New	951546
4.	Mr. Uma Shanker	SAO	Type -IV Accn No-103, Block D, New Campus	Type -IV Accn No-104, Block D, New	800200

कृपया आप उक्त कमरे का कब्जा सात दिवसों के अन्दर प्राप्त करना सुनिश्चित करें। आवास कब्जा लेने के उपरान्त आपसे विश्वविद्यालय के नियमानुसार जल एवं विद्युत प्रभार के रूप में आपके वेतन से कटौती वित्त विभाग द्वारा की जायेगी। यदि आप मकान का कब्जा प्राप्त नहीं करते हैं तो सात दिन की प्रतीक्षा के उपरान्त यह आवंटन आदेश स्वतः निरस्त माना जायेगा जिसकी सम्पूर्ण जिम्मेदारी आपकी होगी। मकान का किराया, विद्युत कर एवं जल प्रभार की दरों को संशोधित करने का अधिकार कुलपति महोदय का होगा। आपका दायित्व होगा कि आप आवंटित आवास को सही हालत में रखेंगे तथा इसके अतिरिक्त आप द्वारा आवास में न तो कोई तोड़-फोड़ की जाएगी और न ही इसमें किसी प्रकार का कोई निर्माण कार्य कराया जाएगा। कृपया पूर्व में आवंटित आवास/छात्रावास की चाबी 01 सप्ताह में केयर टेकर /अनुरक्षण विभाग/छात्रावास प्रभारी के पास जमा करना सुनिश्चित करें।

उक्त आदेश मा० कुलपति महोदय के स्वीकृति के उपरान्त जारी किया जा रहा है।

नोट:
1. उक्त आवंटित आवास में निवास करना अनिवार्य है। आवास आवंटित करवाने के उपरान्त उसे खाली या किसी अन्य को निवास हेतु देना अनुशासनहीनता की श्रेणी में आयेगा। एक बार आवास आवंटित होने के उपरान्त कब्जा न लेने तथा इन्वेन्ट्री न कराने की स्थिति में आपका आवंटन रद्द कर दिया जायेगा तथा आप द्वारा दोबारा किसी भी परिस्थिति में आवास बदला नहीं जाएगा।
2. उक्त आवंटन पूर्णतया अस्थायी प्रकृति का है। सक्षम अधिकारी के किसी भी आदेश से उक्त आवंटन को किसी भी समय निरस्त किया जा सकता है, जिस हेतु आपके द्वारा किया गया कोई भी दावा मान्य नहीं होगा।

नोट:
3. कृपया निर्देशित किया जाता है कि उक्त आवंटित आवास में 15 दिनों के भीतर शिफ्ट होना अनिवार्य है साथ ही पूर्व आवंटित आवास की चाबी केयर टेकर को 15 दिनों के भीतर हस्तगत कराना सुनिश्चित करें।
4. उक्त आवंटित आवास में 15 दिनों के भीतर शिफ्ट नहीं होने की स्थिति में आवंटित आवास निरस्त करते हुए एस०ओ०पी० के अनुसार आपको अग्रिम 01 वर्ष हेतु डिबार कर दिया जायेगा।

(के०बी० अग्रवाल)

वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी
सदस्य सचिव-आवास आवंटन समिति

प्रतिलिपि :-

01. वित्त अधिकारी।
02. अधिशासी अभियन्ता, अनुरक्षण विभाग।
03. प्रभारी डी०टी०एच०
04. निजी स्टाफ मा० प्रति कुलपति महोदय को अवलोकनार्थ।
05. सी०ए०सी० विभाग को बेवसाईट पर अपलोड किये जाने हेतु प्रेषित।
06. संबंधित पटल सहायक को संबंधित की व्यक्तिगत पत्रावली हेतु।
07. श्री धर्मेन्द्र कुमार, वार्ड ब्याय(केयर टेकर), मेसर्स पूर्व सैनिक कल्याण निगम लि० को निर्देशित किया जाता है कि पूर्व आवंटित आवास की सम्पूर्ण इन्वेन्ट्री गिनकर प्राप्त करें तथा चाबी अपने पास सुरक्षित रखें एवं आवास विभाग को इन्वेन्ट्री सूची की छायाप्रति उपलब्ध करायें। (मोबाइल नं०-8376007704)

(के०बी० अग्रवाल)

वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी
सदस्य सचिव-आवास आवंटन समिति

उत्तर प्रदेश आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय

सैफई, इटावा-206130

Uttar Pradesh University of Medical Sciences

Saifai, Etawah (U.P.) - 206130

सं०. 236 / उ०प्र०आ०वि०वि० / आवास(1827-सीडी पार्ट) / 2024-25

दिनांक: अगस्त, 2024
10 अक्टूबर

कार्यालय आदेश

तत्काल प्रभाव से निम्नलिखित तालिका में अंकित अधिकारी/कर्मचारी को उनके नाम के सम्मुख उल्लिखित आवास आवंटित/आवास परिवर्तित किये जाने के निर्देश दिये जाते हैं :-

Sl. No.	Name	Post	Present House No. / Vacant	New Allotment	Employee ID
1	Dr. P.K. Jain	Professor & Head Community Medicine Deptt.	Old Campus Type-V Block A-212	Type-5, Accn No-501, Tower-1, 500 Beded, Super Speciality Block	

कृपया आप उक्त कमरे का कब्जा सात दिवसों के अन्दर प्राप्त करना सुनिश्चित करें। आवास कब्जा लेने के उपरान्त आपसे विश्वविद्यालय के नियमानुसार जल एवं विद्युत प्रभार के रूप में आपके वेतन से कटौती वित्त विभाग द्वारा की जायेगी। यदि आप मकान का कब्जा प्राप्त नहीं करते हैं तो सात दिन की प्रतीक्षा के उपरान्त यह आवंटन आदेश स्वतः निरस्त माना जायेगा जिसकी सम्पूर्ण जिम्मेदारी आपकी होगी। मकान का किराया, विद्युत कर एवं जल प्रभार की दरों को संशोधित करने का अधिकार कुलपति महोदय का होगा। आपका दायित्व होगा कि आप आवंटित आवास को सही हालत में रखेंगे तथा इसके अतिरिक्त आप द्वारा आवास में न तो कोई तोड़-फोड़ की जाएगी और न ही इसमें किसी प्रकार का कोई निर्माण कार्य कराया जाएगा। कृपया पूर्व में आवंटित आवास/छात्रावास की चाबी 01 सप्ताह में केयर टेकर/अनुरक्षण विभाग/छात्रावास प्रभारी के पास जमा करना सुनिश्चित करें।

उक्त आदेश मा० कुलपति महोदय के स्वीकृति के उपरान्त जारी किया जा रहा है।

- नोट:**
- उक्त आवंटित आवास में निवास करना अनिवार्य है। आवास आवंटित करवाने के उपरान्त उसे खाली या किसी अन्य को निवास हेतु देना अनुशासनहीनता की श्रेणी में आयेगा। एक बार आवास आवंटित होने के उपरान्त कब्जा न लेने तथा इन्वेन्ट्री न कराने की स्थिति में आपका आवंटन रद्द कर दिया जायेगा तथा आप द्वारा दोबारा किसी भी परिस्थिति में आवास बदला नहीं जाएगा।
 - उक्त आवंटन पूर्णतया अस्थायी प्रकृति का है। सक्षम अधिकारी के किसी भी आदेश से उक्त आवंटन को किसी भी समय निरस्त किया जा सकता है, जिस हेतु आपके द्वारा किया गया कोई भी दावा मान्य नहीं होगा।

- नोट:**
- कृपया निर्देशित किया जाता है कि उक्त आवंटित आवास में पत्र प्राप्ति के पश्चात 07 दिनों के भीतर शिफ्ट होना अनिवार्य है साथ ही पूर्व आवंटित आवास की चाबी केयर टेकर को 07 दिनों के भीतर हस्तगत कराना सुनिश्चित करें।
 - उक्त आवंटित आवास में 07 दिनों के भीतर शिफ्ट नहीं होने की स्थिति में आवंटित आवास निरस्त करते हुए एस०ओ०पी० के अनुसार आपको अग्रिम 01 वर्ष हेतु डिबार कर दिया जायेगा।

(के०बी० अग्रवाल)

वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी
सदस्य सचिव-आवास आवंटन समिति

प्रतिलिपि :-

- वित्त अधिकारी।
- सी०ए०सी० विभाग को वेबसाइट पर अपलोड किये जाने हेतु प्रेषित।
- अधिशासी अभियन्ता, अनुरक्षण विभाग।
- संबंधित पटल सहायक को संबंधित की व्यक्तिगत पत्रावली हेतु।
- श्री धर्मेन्द्र कुमार, वार्ड ब्याय(केयर टेकर), मेसर्स पूर्व सैनिक कल्याण निगम लि० को निर्देशित किया जाता है कि पूर्व आवंटित आवास की सम्पूर्ण इन्वेन्ट्री गिनकर प्राप्त करें तथा चाबी अपने पास सुरक्षित रखें एवं आवास विभाग को इन्वेन्ट्री सूची की छायाप्रति उपलब्ध करायें। (मोबाइल नं०-8376007704)

(के०बी० अग्रवाल)

वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी
सदस्य सचिव-आवास आवंटन समिति